कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 172/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** **दिनांक- 05.05.2026**

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

➡ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना अतरौलिया पुलिस की कार्रवाई, आरोपी को जेल भेजा गया

पूर्व की घटना – दिनांक 21.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना अतरौलिया पर दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त शुभम मिश्रा पुत्र सभापति मिश्रा निवासी ग्राम रामपुर कुकुरीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोप है कि अभियुक्त का वादिनी के साथ लगभग 06 वर्षों से प्रेम संबंध था तथा जुलाई 2024 में उसे घुमाने के बहाने बनारस ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद शादी का दबाव बनाने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा।

गिरफ्तारी का विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.05.2026 को उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह मय हमराह टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को उसके घर ग्राम रामपुर कुकुरीपुर से समय करीब 06:25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 114/2026 धारा 69, 123, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

शुभम मिश्रा पुत्र सभापति मिश्रा निवासी ग्राम रामपुर कुकुरीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह, का0 श्याममणि, रि0का0 उत्कर्ष सिंह, रि0का0 अभिषेक मिश्रा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

➡ जमीनी विवाद में मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

➡ पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे की राड़ बरामद कर अभियुक्त को भेजा जेल

पूर्व की घटना – दिनांक 03.05.2026 को वादी मोहम्मद इम्तियाज पुत्र मोहम्मद अजीज निवासी ग्राम कटोही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगण युनुस पुत्र स्व0 अकबाल, इस्तेकार पुत्र स्व0 सैय्याद, हारून पुत्र सैय्याद, मन्सा पुत्र अकबाल एवं सुहेल पुत्र हारून निवासीगण कटोही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पत्नी नासरीन को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा बीच-बचाव करने आई वादी की भाभी शबाना व पुत्र हाशिम को भी मारा-पीटा गया। इस संबंध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 162/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.05.2026 को उ0नि0 उमापति गिरी मय हमराह टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त युनुस पुत्र अकबाल निवासी कटोही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 61 वर्ष को गदनपुर

अंडरपास के पास से समय करीब 06:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की राड़ भोराजपुर कला सर्विस रोड के किनारे से बरामद की गई। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0- 162/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त –
युनुस पुत्र स्व0 अकबाल निवासी कटोही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 61 वर्ष।
बरामदगी –
घटना में प्रयुक्त लोहे की राड़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
उ0नि0 उमापति गिरी, का0 अनिमेष पाल थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

➡ चाकू से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना फूलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

घटना का विवरण – दिनांक 04.05.2026 को वादी रोजेश पुत्र गरीब निवासी ग्राम गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दी गई कि वादी अपने मकान का निर्माण कार्य करा रहा था। इसी दौरान वादी का पुत्र रुश्तम उर्फ धर्मेन्द्र उम्र लगभग 27 वर्ष निर्माण कार्य देखने जा रहा था कि रास्ते में विपक्षी गंगू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र राजेश व सत्यम पुत्र रामशब्द निवासीगण ग्राम गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। इस संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 160/2026 धारा 109(1), 126(2), 352 बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।
गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.05.2026 को उ0नि0 कमालुद्दीन मय हमराह टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त गंगू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र राजेश निवासी ग्राम गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को सुदनीपुर मार्ग से समय करीब 13:47 बजे गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त चाकू पूर्व में ही मौके से बरामद किया जा चुका था। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0- 160/2026 धारा 109(1), 126(2), 352 बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त –
गंगू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र राजेश निवासी ग्राम गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
बरामदगी –
चाकू (घटना में प्रयुक्त)।
गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –
उ0नि0 कमालुद्दीन, हे0का0 राजीव यादव, का0 निलेश प्रताप सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

➡ 06 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

➡ बरदह पुलिस की कार्रवाई, स्कूटी से तस्करी करते पकड़े गये आरोपी

घटना/गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 04.05.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल चौकी प्रभारी ठेकमा थाना बरदह मय हमराह टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान त्रिवेणी मोड़ से छत्तरपुर मार्ग पर लगभग 200 मीटर आगे एक स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोककर तलाशी लेने पर उनके पास से लगभग 06 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उनकी पहचान गोविन्द यादव पुत्र सोमारू निवासी ग्राम कैथी शंकरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ एवं किशन सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी ग्राम भीरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। दोनों अभियुक्तों को समय करीब 04:55

बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 156/26 धारा 8/20/29 NDPS Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 156/26 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. गोविन्द यादव पुत्र सोमारू यादव निवासी ग्राम कैथी शंकरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
2. किशन सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी ग्राम भीरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी –

लगभग 06 किलोग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, चौकी प्रभारी ठेकमा थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह, आजमगढ़
3. हे0का0 सन्तोष कुमार शाह थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 पंकज यादव चौकी ठेकमा थाना बरदह, आजमगढ़
5. का0 दुर्गेश राय चौकी ठेकमा थाना बरदह, आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 04.05.2026, जनपद आजमगढ़

➡ "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

➡ प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने प्रत्येक पर 03-03 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मेहनगर में पंजीकृत हत्या के एक महत्वपूर्ण मुकदमे में मा0 न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 03-03 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.01.2022 को वादी ओम प्रकाश राजभर पुत्र जनार्दन प्रसाद निवासी आदर थाना बासडीह जनपद बलिया (हाल मुकाम वार्ड नं0-10 मेहनगर, जनपद आजमगढ़) द्वारा थाना मेहनगर पर लिखित तहरीर दी गई थी कि अभियुक्तगण वतन सिंह पुत्र अशोक सिंह एवं सत्यभामा सिंह पत्नी अशोक सिंह निवासी गौरा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्र ओजस्व कुमार (उम्र लगभग 18 वर्ष) का अपहरण कर हत्या कर शव को छिपा दिया गया। इस संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0- 29/2022 धारा 302, 364A, 201, 120B, 203 भादवि पंजीकृत कर विवेचना की गई तथा साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

विचारण के दौरान कुल 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया। सशक्त साक्ष्य एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर दिनांक 04.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 (गैंगस्टर एक्ट) आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तगण वतन सिंह एवं सत्यभामा सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 03-03 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जनपद पुलिस द्वारा "ऑपरेशन कनविक्शन" के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।